अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पफर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

शेरसिंह बनाम राजभूपेन्द्रसिंह व राज्य

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 10 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
29.1.16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24-2-16 को पेश हो।	N.J 265 29.01.16
24.02.16	अपीलांट के अधिवक्ता उप०। रेस्पों० संख्या 04 का सम्मन बाद तामील प्राप्त। रेस्पों० संख्या 01 की ओर से श्री ओम प्रकाश बतरा, Adv० 4 रेस्पों० संख्या 02 की ओर से श्री नितिन कुमार, अधि० ने वकालतनामा पेश किया - शा० मिसल हो। तहसीलदार, पदमपुर से रिपोर्ट एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। शा० मिसल हो। ~~[illegible]~~ पत्रावली दिनांक 29.03.16 को पेश हो।	
29-3-16	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट की ओर से श्री अजय कुमार Ad. ने वकालतनामा, प्रार्थना पत्र, फार्म नं. 3 के साथ कोरे प्रति निरस्ती मुख्तारनामा (पंजाबी में) एवं हिन्दी अनुवाद मुख्तारनामा निरस्ती पेश किया। प्रार्थना पत्र की नकल अपीलांट के मुख्यारनामा के वकील को दी गई। अपीलांट शेरसिंह के मु०आम जगरूपसिंह मय वकील उप०। रेस्पो० के Ad. एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। शेर सिंह अपीलांट के मु०आम के अधिवक्ता ने आपति जाहिर की	Not Press [illegible]

Scanned by CamScanner

है कि अपीलाधीन इंतकाल सं० 454
दि० 3.11.15 23-00 बीघा कृषि
भूमि से संबंधित है। श्री शेरसिंह
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वकालतनामा
तथाकथित मु० नामा निरस्तीकरण
फर्जी हस्ताक्षरों से कार्यवाही की
गई है। अपीलांट शेरसिंह दिनांक
19-1-16 से विदेश गया हुआ
है। शेरसिंह दि० 1-4-16 को
विदेश से वापिस लौट रहा है।
अत: अपील विड्रा करने की
स्वीकृति देने से पूर्व अपीलांट
शेरसिंह को सुनने का अवसर
दिया जावे।

रेस्पो० के Ad. श्री ओमप्रकाश
बतरा ने आपत्ति जाहिर की, कि उसे
वाद व्यय दिलाया जावे।

अपीलांट के Ad. ने शेरसिंह की
ओर से वकालतनामा पेश कर, अपील
को एवं प्रार्थना पत्र को NOT Press
कर, अपील एवं प्रार्थना पत्र में
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने
का निवेदन किया है। अत: वकील
अपीलांट द्वारा NOT Press करने
के कारण अपील NOT Press में
खारिज की जाती है। आदेश की
प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ यथास्थान

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ADM(A)

कार्यालय टिप्पणी

को दे दिया जावे। पत्रावली दिनेश कुमार की आकार नम्बर से दर्ज की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/5/11

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner